छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
::मंत्रालय::
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर,
रायपुर, छत्तीसगढ़

क्रमांक 1549 /एफ–2013–04–00749/ब–4/चार नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 26/07/2022

प्रति,

1. **महालेखाकार,**
कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी),
जीरो प्वांइट, बलौदाबाजार रोड,
रायपुर, छत्तीसगढ़

2. **महाप्रबंधक,**
भारतीय रिजर्व बैंक
केन्द्रीय लेखा अनुभाग
नागपुर–440001

विषय :– **छत्तीसगढ़ राज्य प्रत्याभूति मोचन निधि योजना 2022 की स्थापना बाबत्।**

संदर्भ :– छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण), दिनांक 05.07.2022

उपरोक्त विषयांतर्गत "छत्तीसगढ़ राज्य प्रत्याभूति मोचन निधि योजना" की अधिसूचना का प्रकाशन छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) में दिनांक 05.07.2022 का किया गया है। जिसकी हिन्दी एवं अंग्रजी प्रति सुलभ संदर्भ हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्न :– यथोपरि।

(शरद परसाई)
अवर सचिव
वित्त विभाग

पृ.क्र.1550/एफ–2013–04–00749/ब–4/चार नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 26/07/2022

प्रतिलिपि :–
संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर को वित्त विभाग की वेबसाइट www.finance.cg.gov.in में अपलोड करने हेतु।

अवर सचिव
वित्त विभाग

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 422] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 5 जुलाई 2022 — आषाढ़ 14, शक 1944

वित्त विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 20 जून 2022

अधिसूचना

क्रमांक 1243/एफ 2013–04–00749/ब–4/संसा.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, "छत्तीसगढ़ राज्य प्रत्याभूति मोचन निधि योजना, 2022" बनाते हैः–

छत्तीसगढ़ शासन के प्रत्याभूति मोचन निधि का संचालन एवं स्थापना योजना

1. यह योजना "छत्तीसगढ़ राज्य प्रत्याभूति मोचन निधि योजना, 2022" कहलायेगी। — **योजना का शीर्षक**

2. निधि का उपयोग, राज्य स्तरीय उपक्रमों अथवा अन्य संस्थाओं द्वारा राज्य शासन की प्रत्याभूति पर लिये गये ऋणों जारी किये गये बॉण्ड्स एवं उधारियों/देनदारियों को भुगतान न करने के कारण हितग्राहियों द्वारा मांग (invoke) करने पर उत्पन्न दायित्व चुकता करने के लिये किया जाएगा। — **योजना का उद्देश्य**

   2.1 निधि में संचयन का उपयोग केवल प्रत्याभूति के भुगतान को हितग्राहियों द्वारा मांग (invoke) करने पर उत्पन्न दायित्व के भुगतान के लिये किया जाएगा और न कि उस संस्थान द्वारा किये गये भुगतान के लिये जिनकी ओर से प्रत्याभूति जारी की गई थी।

   2.2 उपरोक्त 2.1 में अंकित को छोड़कर इस निधि का उपयोग किसी अन्य उद्देश्य के लिये नहीं किया जाएगा।

3. यह योजना राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावशील होगी। — **योजना के संचालन का प्रारंभ**

4. प्रत्याभूति मोचन निधि की स्थापना छत्तीसगढ़ शासन द्वारा की जाएगी, जिससे राज्य स्तरीय उपक्रमों अथवा अन्य संस्थाओं को दी गई प्रत्याभूतियों के कारण उत्पन्न हुए दायित्वों को पूरा किया जा सकेगा। लोक लेखा के अन्तर्गत इस निधि की स्थापना होगी और मुख्य लेखा शीर्ष "8235 सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधियां 117 प्रत्याभूति मोचन निधि" के अन्तर्गत इसे वर्गीकृत किया जाएगा। — **निधि की स्थापना**

5. इस निधि का निर्माण शासन द्वारा प्रारंभिक अंशदान रूपये 5.00 करोड़ की राशि से होगा। इस निधि पर वार्षिक अथवा न्यूनतम अंतराल पर अंशदान द्वारा वृद्धि होती जाएगी ताकि इस निधि का स्तर शासन पर पर्याप्त प्रत्याभूतियों की मांग (invocation) के कारण आने वाले संभावित व्यय भार के भुगतान को पूरा किये जाने में पर्याप्त हो सके। इस निधि पर अंशदान की राशि के हस्तांतरण के लिये वित्त विभाग द्वारा समुचित प्रावधान बजट में राजस्व व्यय के रूप में मांग संख्या "06–2075 विविध सामान्य सेवायें, (797)" आरक्षित निधियों तथा जमा लेखाओं से अंतरण– "प्रत्याभूति मोचन निधि" के अन्तर्गत किया जाएगा। **निधि के लिये अंशदान**

6. इस निधि को राज्य की संचित निधि से बाहर रखा जाएगा तथा इस का उपयोग, योजना में उल्लेखित विधि अनुसार किया जाएगा। **सामान्य राजस्व/खोक लेखा के साथ निधि का संबंध**

7. इस निधि का संचालन नागपुर स्थित भारतीय रिजर्व बैंक (आगे इसे बैंक के नाम से संबोधित किया जाएगा) के केन्द्रीय लेखा शाखा द्वारा किया जाएगा और समय–समय पर राज्य शासन से प्राप्त निर्देशों के अनुसार होगा। **निधि का संचालन**

8. निधि पर उपार्जित राशि के साथ प्राप्त ब्याज राशि को निम्नानुसार निवेशित किया जाएगा:– **निधि के निकाय का निवेश**

(अ) केन्द्र शासन की कालांकित प्रतिभूतियां
(ब) राज्य शासन की प्रतिभूतियां
(स) नीलाम किये गये ट्रेजरी बिल्स

9. 9.1 निधि के प्रशासन का उत्तरदायित्व वित्त विभाग का होगा। वित्त विभाग द्वारा निधि के निकाय का निवेश, पुनःनिवेश, विनिवेश, दायित्व व उपयोग आदि से संबंधित समस्त मामलों का निराकरण किया जाएगा। **लेन–देन का लेखा**

9.2 वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर भारतीय रिजर्व बैंक को निर्देश दिया जाएगा और उसकी प्रति महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), छत्तीसगढ़ को दी जाएगी। यदि शासन से समय पर निर्देश प्राप्त न हो, तो बैंक द्वारा उपरोक्त पैरा 8 में अंकित मार्गदर्शन अनुसार राशि को निवेशित किया जाएगा। बैंक आवश्यक निवेश करने के लिये तत्काल व्यवस्था करेगा। बैंक वित्त विभाग/महालेखाकार, छत्तीसगढ़ को निवेश एवं अन्य व्यय जैसे विविध–व्यय, दलाली कमीशन आदि के नामे सीधी लेखा देगा। यह सुनिश्चित करना होगा कि निधि का निवेश का लेखा अन्य लेखा से स्पष्टतः पृथक से हो, जिसे पृथक लेखा–सूची में प्रदर्शित किया जाएगा।

9.3 सूचियां प्राप्त होने पर निवेश के लेखे को मुख्य लेखा शीर्ष "8235 सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधियां–120–प्रत्याभूति मोचन निधि–निवेश लेखा" के अन्तर्गत वर्गीकृत किया जाएगा। यद्यपि विविध–व्यय जैसे दलाली, कमीशन आदि इस निधि के अन्तर्गत देय होगी।

9.4 जहां तक व्यवहार्य हो, केन्द्र एवं राज्य सरकारों की कालांकित प्रतिभूतियों में निवेश को उनके नवीन निर्गम पर किया जावे अर्थात जब यह निर्गमन जनता को जारी किया गया हो। राज्य सरकारों की प्रतिभूतियों में छत्तीसगढ़ राज्य की प्रतिभूतियों को अन्य राज्यों की प्रतिभूतियों की तुलना में प्राथमिकता दी जावे।

9.5 इन प्रतिभूतियों पर प्राप्त ब्याज को एकत्र कर बैंक निर्धारित तिथि को इस निधि में जमा करेगा, इसके पश्चात इनका निवेश करने की आवश्यकता होगी जैसा कि सरकार द्वारा किये गये योगदान का निवेश होगा। अर्थात ऊपर पैरा –8 में दर्शित निवेश के नियमों के अनुसार निवेश किया जा सकेगा। प्रतिभूतियों की परिपक्वता पर संपूर्ण राशि को एकत्र कर सरकार के खाते में स्थानान्तरित कर दिया जाएगा। अथवा छत्तीसगढ़ सरकार से प्राप्त निर्देशों के आधार पर पैरा–8 में दी गयी रूपरेखा के अनुसार उस निधि को पुनःविनियोजित कर दिया जाएगा। नामे सूची की तरह बैंक इन प्राप्तियों के लिये अलग सूची (scroll) का उपयोग करेगा।

9.6 शासन से प्राप्त निर्देशों के आधार पर बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, मुम्बई के माध्यम से प्रचलित मूल्यों पर प्रतिभूतियों को बेचने की व्यवस्था करेगा तथा प्राप्त धनराशि से आकस्मिक व्ययों को कम करके शासन के खाते में जमा करेगा।

9.7 परिपक्व अथवा प्रतिभूतियों के विक्रय द्वारा प्राप्त राशि को "प्रत्याभूति मोचन निधि–निवेश खाता (Guarantee Redemption Fund Investment Account)" में जमा की जाएगी। विक्रय के लिये अनुषांगिक व्यय निधि को भारित होगा।

9.8 नीलाम किये गये ट्रेजरी बिल्स का क्रय बैंक द्वारा गैर–प्रतियोगी बोली अथवा बाजार से सीधे किया जा सकता है।

9.9 मार्गदर्शिका के पैरा–5 में दिये गये विवरण के अनुसार राज्य सरकार विशिष्ट शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याभूति मोचन निधि के खाते से होने वाले व्यय के लिये प्रावधान करेगी। केवल प्रत्याभूति मोचन से संबंधित मात्र

वास्तविक व्यय को राजस्व व्यय मांग संख्या "06–2075–विविध सामान्य सेवाएं 800–अन्य व्यय – प्रत्याभूति मूल्य का भुगतान" के अन्तर्गत लाया जाएगा तथा ऐसे व्यय को प्रत्याभूति मोचन निधि से उतनी ही राशि को स्थानान्तरित कर उदासीन (Neutralize) कर दिया जाएगा। तद्नुसार मांग संख्या "06–2075–विविध सामान्य सेवाएं–902 –घटाईए–प्रत्याभूति मोचन निधि से पूर्ति के पुनःप्राप्तियों" के रूप में दर्शाकर समतुल्य राशि मुख्य लेखा शीर्ष "8235–सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधियां–117–प्रत्याभूति मोचन निधि" के अन्तर्गत नामे किया जाएगा। चूंकि आवश्यक धनराशि बकायादार संस्थाओं/संगठनों से एकत्र की जानी है, अतः यह धनराशि ब्याज सहित ऋण के रूप में उन संगठनों को स्वीकृत की जाएगी जो मूल ऋण के बराबर होंगी, जो कि उस संगठन के द्वारा ऋण के रूप में प्रशासकीय विभाग की संबंधित मद से प्राप्त किया गया है।

9.10 दावों के भुगतान को पूरा करने के लिये अन्यत्र दायित्वों के निराकरण के लिये सर्वप्रथम निधि की सम्पत्तियों में नीलाम किये गये ट्रेजरी बिलों की उपयुक्त सीमा तक, पुराने बिलों को पहले बेचकर पूरा किया जाएगा, उसके पश्चात अन्य बिलों को बेचा जाकर दायित्व पूरा किया जाएगा। ट्रेजरी बिलों के विक्रय के पश्चात प्राप्त राशि से यदि दायित्वों को पूरा कराने के लिये पर्याप्त धन नही मिलता और देनदारियां पूर्ण नहीं होती है, तो केन्द्र सरकार की कालांकित प्रतिभूतियों को बेचा जा सकेगा। राज्य सरकार की प्रतिभूतियों को बेचने की प्रक्रिया अंतिम विकल्प होगी।

9.11 राज्य सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक की सहमति से निर्धारित दर पर बैंक को कमीशन का भुगतान करेगी। इन भुगतानों का वहन भी निधि पर करना होगा जैसा कि इस प्रकार के भुगतानों को पैरा 11 एवं 9 में दिये गये विवरण के अनुसार किया जाना होगा। प्रतिभूतियों के विक्रय से हुये लाभ अथवा हानि को इस निधि के खाते में लिया जाना होगा।

9.12 जब धनराशि निवेश पर निधि के खाते में जमा की जाती है तो प्रतिभूतियों के क्रय के कारण उत्पन्न व्यय को इनवेस्टमेन्ट एकाउन्ट के खाते के अन्तर्गत निधि के खाते में नामे में डाली जाएगी। यह उसी सीमा तक खाते में जमा की जाएगी जो प्रतिभूतियों के विक्रय, परिपक्वता अथवा परिपक्वता के पूर्व निरस्तीकरण के फलस्वरूप प्राप्त होगी। प्रतिभूतियों के क्रय से प्राप्त ब्याज को भी निवेश खाते में जमा किया जाएगा जिसकी निधि के खाते में विपरीत प्रविष्टि की जायेगी।

10. 10.1 निवेश, पुनः निवेश, विनिवेश, पुनः आवंटन, वापसी आदि के मामलों में बैंक, वित्त विभाग से समय–समय पर प्राप्त निर्देशों का पालन करेगा तथा उन्हीं निर्देशों के अनुसार कार्य करेगा। **निधि की व्यवस्था में बैंक के कार्य**

10.2 बैंक, शासन के द्वारा व्यवस्थित खाते के नामे को बढ़ाने की व्यवस्था पैरा 5 में दिये गये नियमों के अनुसार करेगा।

10.3 पैरा–8 मे दर्शाये अनुसार इस कोष में प्राप्त योगदान को बैंक द्वारा निवेशित किया जाएगा। निधि में प्रत्याभूति कमीशन सरकार द्वारा दिये गये योगदान एवं ब्याज से प्राप्त आमदनी, आवर्ती अभिवृद्धि आदि को भी बैंक द्वारा उसी प्रकार से निवेशित किया जाएगा।

10.4 निधि में संचित शेष धन राशि से प्रत्याभूतियों की हितग्राहियों द्वारा मांग (invoke) होने के फलस्वरूप उस तिथि तक जमा राशि आहरित की जा सकेगी, सरकार के निर्देशानुसार इसका भुगतान किया जाएगा।

10.5 बैंक शेष राशि की उपलब्धता पर आवर्ती प्रपत्र, संज्ञापन, आदि सरकार की सहमति से उपलब्ध करायेगा।

11. सरकार द्वारा बैंक को निधि के कुल संव्यवहार की राशि का निश्चित प्रतिशत अथवा दोनों पक्षों की सहमति से निर्धारित दर पर कमीशन का भुगतान किया जाएगा। **निधि के प्रशासन में सेवा प्रभार**

12. सामान्य स्थितियों में इस निधि के लेखे एवं निवेश आदि को राज्य के महालेखाकार द्वारा संधारित किया जाएगा। वित्त विभाग द्वारा सहायक लेखों को उस रीति से रखा जाएगा जैसे महालेखाकार की सलाह पर शासन निर्धारित करे। **लेखा एवं अंकेक्षण**

13. समय–समय पर वित्त विभाग योजना से संबंधित प्रावधानों के बारे में निर्देश जारी करेगा जिससे योजना के संचालन में सहूलियत हो। किसी भी प्रावधान के क्रियान्वयन में यदि कोई असुविधा आती है, तो उस प्रावधान को वित्त विभाग यदि संतुष्ट हो तो शिथिल कर सकेगा। **बचतें**

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शारदा वर्मा, विशेष सचिव.

Atal Nagar, the 20th June 2022

NOTIFICATION

No. 1243/F-2013-04-00749/B-4/Reso.— In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the Chhattisgarh State Guarantee Redemption Fund Scheme, 2022'.

Scheme for Constitution and Administration of the Guarantee Redemption Fund of the Government of Chhattisgarh

1. The Scheme shall be called 'The Chhattisgarh State Guarantee Redemption Fund Scheme, 2022' — **Title of the Scheme**

2. The Fund is to be utilized for meeting the payment obligations arising out of the guarantees issued by the Government in respect of loans taken, bonds issued and other borrowings by the State Government Undertakings or other bodies and stand invoked by the 'beneficiaries'. — **Objective of the Scheme**

   (2.1) The accumulations in the Fund will be utilized only towards the payment of the guarantees issued by the Government and invoked by the beneficiary and not paid by the institution on whose behalf guarantee was issued.

   (2.2) The Fund shall not be utilized for any purpose except as stated at 2.1 above.

3. It shall come into force with effect from the date of publication in Gazette. — **Commencement of the operation of the scheme**

4. A "Guarantee Redemption Fund" will be constituted by the Government of Chhattisgarh for meeting its obligations arising out of the guarantees issued on behalf of State Government undertakings and other bodies. The Fund would be constituted — **Constitution of the Fund**

in the Public Account and classified under the head "8235— General and other Reserve Funds- 117- Guarantee Redemption Fund".

5. The Fund shall be set by the Government with an initial contribution of Rs. 5.00 crore. The balance in the Fund shall be increased with contributions made annually or at lesser intervals, so as to reach the level deemed sufficient to meet the amount of anticipated guarantees devolving on the Government as result of the likely invocation of outstanding guarantees. In order to enable transfer of the total amount of the contribution to the fund. the Finance Department would make suitable Budget provision under the revenue expenditure side of their budget under "Demand No. 6 — 2075 Miscellaneous General Services- 797 — Transfer to / from Reserve Fund and Deposit Accounts - Guarantee Redemption Fund." **Contribution of the Fund**

6. The Fund shall be kept in the Public Account outside the Consolidated Fund of the State and shall be utilized only in the manner prescribed in this Scheme. **Relationship of the Fund with the Consolidated Fund and Public Account**

7. The Fund shall be administered by Central Accounts Section of Reserve Bank of India at Nagpur (hereinafter referred to as the Bank) subject to such directions and instructions as Government may issue from time to time. **Administration of the Fund**

8. The accretions to the Fund together with the income earned the investment of the Fund shall, till instructions are issued to the contrary, if any, be invested in one or more of the following instruments: **Investment of the corpus of the Fund**

(a) Central Government dated Securities
(b) State Government Securities
(c) Auctioned Treasury Bills.

Accounting of Transactions

9. 9.1 The responsibility for the administration of the Fund will rest with the Finance Department. The Finance Department will decide all matters connected with investment of the Corpus of the Fund, reinvestment and dis-investment, obligations and application of the Fund, etc.

9.2 The Finance Department will, from time to time, issue instructions to the Reserve Bank of India, under intimation to Accountant General (Accounts & Entitlement), Chhattisgarh. In case no timely instruction is received from the Government, the Bank may invest the amount as per Para- 8 of the guideline. The bank will immediately arrange to make the necessary investment. The Bank would scroll to the Finance Department and Accountant General, Chhattisgarh the debit on account of the investment and other incidental charge like brokerage, commission etc. in the usual course. However, in order to ensure that the investment transactions of the Fund do not get mixed up with other transactions, these may be indicated distinctly in separate scrolls.

9.3 On receipt of the scrolls the investment transactions would be accounted for under the head "8235-General and other Reserve Funds 120—Guarantees Redemption Fund— Investment Account". However, the incidental charges like brokerage, commission etc. shall be accounted for as a charge on the Fund.

9.4 As far as practicable, the investment in the dated securities of the Central and State Government should be made in their new issues, that is to say, at the time when they are offered for subscription to the public. Securities of Chhattisgarh State Government's securities should be preferred to other State Governments' securities.

9.5 The Bank will arrange to collect interest on these securities and credit the same to the Fund on due date. Further, these would require to be invested as in the case of the contributions by the Government i.e. in accordance with the investment norms prescribed in Para 8 above. On maturity of the securities, the proceeds will be collected and credited to the account of the Government or reinvested on the basis of instructions received from the Government of Chhattisgarh in accordance with the pattern outlined in Para 8 intra. As in the case of the debit scrolls, the Bank shall use separate scrolls, for the receipts.

9.6 On receipt of instruction from the Government, the Bank will arrange to sell the securities at the ruling price through Reserve Bank of India at Mumbai and credit the amount realized, less incidental charges, to the account of the Government.

9.7 The receipt on account of maturity or sale of the securities would be taken to the account of the "Guarantee Redemption Fund-Investment Account". The incidental charges on sale would be charged on the Fund.

9.8 The auctioned Treasury Bills may be purchased by the Bank either at Treasury Bill auctions on the basis of a non—competitive bid or in the market.

9.9 The provision for expenditure on account of the Guarantee Redemption Fund will be made in the budget of the State Government under the relevant head as in Para — 5 of the guideline. Only the actual amount of guarantee redemption expenditure shall be brought under the Revenue Expenditure under "Demand No. 06-2075 Miscellaneous General Services-800—other expenditure—payment of guaranteed value" and such

expenditure shall be neutralized by transfer of equal amount from the Guarantee Redemption Fund. A provision shall, accordingly be made under the Demand No. "06—2075- Miscellaneous General Services-902- Deduct amount met from Guarantee Redemption Fund" by Contra debit to "8235 - General and other Reserve Funds - 117 General Redemption Fund". But the amount is required to be released from the defaulting organization. So the amount needs to be sanctioned as loan to the organization with original loan availed by the organization under the loan head concerned in the respective grants of the Administrative Departments.

9.10 To meet the liability on account of the claim to be paid, first the holding of the Fund in Auction Treasury Bills to the extent required, the oldest lot of bills being sold first and so on will be liquidated. It the amount obtained by the sale of Auction Treasury Bills is not sufficient to meet the liability, the Central Government dated securities may be sold. Recourse to the sale of State Government securities only as last resort.

9.11 The Government will pay the Bank a commission at the rate determined by Reserve Bank of India in consultation with Government. These charges will also be borne by the Fund as in the case of charges indicated in paras 11 and 9. The loss or gain on the sale of securities shall also be taken to the Account of the Fund.

9.12 In case where the amount at the credit of the "Fund" are invested the amount expended on the purchase of securities shall be debited to the "Investment Account" with contra debit to "Fund Account" which will be credited to the same extent when the securities are sold, matured or cancelled before maturity. Interest realised from security purchased shall also be credited to the

"Investment Account" with contra credit to "Fund" account.

10. 10.1 The Bank will be guided by the directions of the Finance Department in all matters concerning the investment. reinvestment, dis-investment. reallocation and withdrawals time to time of the Fund and will act accordingly. **Function of the Bank managing the Fund**

10.2 The Bank would arrange to raise a debit to the account of the Government maintained with it as per the schedule of contributions set out in para 5.

10.3 The contributions to the Fund shall be invested by the Bank of Government Securities as indicated in para 8. The periodic accretion to the Fund by way of guarantees commission, contributions by the Government and interest income shall also be invested by the Bank in a similar manner.

10.4 The withdrawals may be made from out of the balance accumulated in the Fund up to the date towards the redemption of the guarantees invoked and to be paid by the Government , as per its directions.

10.5 The Bank will submit periodical statement of balances and advices regarding the changes therein in consultation with the Government.

11. The Government will pay the Commission to the Bank at fix percent on the turnover of the Fund or at the rate to be mutually decided from time to time. **Service charges for administration of the Fund**

12. The accounts of the Fund and the investments shall be maintained by the Accountant General of the State in the normal course. The Finance Department of the Government will maintain subsidiary accounts in such manner and detail as **Account and Audit**

may be considered by the Government in consultation with the Account General.

13. Finance Department shall issue instructions relating to the provisions of the Scheme as may be considered from time to time to enable smooth functioning of the Scheme. In case of any difficulty in the operation of any provision of the Scheme, the Finance Department may, if satisfied, relax the provisions. **Savings**

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
SHARDA VERMA, Special Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2022.